# न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

| मिसल संख्या | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| मैनुअल नं. 2/अपील/2023 ( GCMS No. 2023/10 ) | 09.01.2023 | 09.07.2024 |

दुर्गाशंकर आ.स्व. रामा उर्फ रामलाल जाति भील,
निवासी ग्राम तुलसी, तहसील एवं जिला बून्दी

— अपीलान्ट

बनाम

1. भवानीशंकर आ. रामनाथ जाति भील,
   निवासी ग्राम तुलसी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
2. गोपाली पुत्री रामनाथ जाति भील, निवासी ग्राम तुलसी,
   तहसील तालेडा, जिला बून्दी ( मृतक कायम मुकाम ) :—
   2/1 भैरू आ. मडा माता गोपाली जाति भील निवासी ग्राम राजपुरा
   2/2 दुर्गा आ.मडा माता गोपाली जाति भील निवासी ग्राम राजपुरा
   2/3 राजेन्द्र आ.मडा माता गोपाली जाति भील निवासी राजपुरा
   2/4 शम्भू आ.मडा माता गोपाली जाति भील निवासी ग्राम राजपुरा
   2/5कन्हैयालाल आ.मडा माता गोपाली जाति भील नि.ग्राम राजपुरा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बून्दी

— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित—

अपीलान्ट की ओर से श्री आशुतोष शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1 की ओर से श्री हनुमान बैरागी, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 2/1 लगायत 2/5 की ओर से श्री रघुवीरसिंह राणावत,एड.
रेस्पो.सं. 3 की ओर से पेरोकार सरकार।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

## निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार तालेडा द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 108 दिनांक 06.03.2006 ग्राम तुलसी से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण रामनाथ व ग्यारसा के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

जिला कलक्टर; बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 2/2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2023/10 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम तुलसी की जमाबंदी संवत् 2076 के खाता सं. 40 की भूमि खसरा सं. 126 रकबा 0.1538 हैक्टेयर, खसरा सं. 141 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा सं. 81 रकबा 0.8417 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.0279 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि में जमाबंदी अंकितानुसार धूला का 1/3 व नाला पिसरान रामा का 1/3 एवं अपीलांट के प्रपिता देवीराम उर्फ देव्या जाति भील का 1/3 हक निहित था। अपीलांट के प्रपिता देवीराम की मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्र रामनाथ व ग्यारसा को उक्त 1/3 भाग का आधा आधा हिस्सा विरासत में प्राप्त हुआ। विरासत नामान्तरकरण ग्यारसीलाल के वारिसान का नाम दर्ज किया गया। अपीलांट के पिता रामनाथ की सन् 2005 से पूर्व मृत्यु होने पर उक्त भूमि में निहित उसके 1/6 भाग का विरासत नामान्तरकरण उसके वारिसान रेस्पो.सं.1 व रेस्पो.सं.2 सहित पुत्रियों का नाम दर्ज किया गया। रेस्पो.सं.2 गोपाली बाई की कुछ वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई है तथा रेस्पो.सं. 2/1 लगायत 2/5 उसके पुत्र के रूप में उत्तराधिकारी होने के कारण उन्हें इस अपील में पक्षकार समायोजित किया गया है। अपीलांट की माता भूलीबाई पत्नी रामनाथ की भी मृत्यु हो चुकी है। रामनाथ के हक की उक्त भूमि में वर्तमान में भवानीशंकर रेस्पो.सं.1 व गोपाली रेस्पो.सं.2 बतौर वारिस राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वास्तव में अपीलांट के प्रपिता रामनाथ के वारिसान में रेस्पो.सं.1 भवानीशंकर पुत्र व अपीलांट के पिता रामा उर्फ रामलाल पुत्र था। इस प्रकार रामनाथ के भवानीशंकर व रामा दो पुत्र थे, किन्तु इन्तकाल प्रविष्ठी करते समय पूर्ण रूप से जांच किये बिना रेस्पो.सं. 3 द्वारा रामनाथ के वारिसान के रूप में केवल एक पुत्र भवानीशंकर एवं पुत्रियों का ही नाम दर्ज किया गया तथा रामनाथ के दूसरे पुत्र रामा उर्फ रामलाल का नाम दर्ज नहीं किया गया, जबकि तत्समय रामनाथ का दूसरा पुत्र रामा जीवित था। रामा उर्फ रामलाल की मृत्यु सन् 2008 में हुई है। अपीलांट रामनाथ के पुत्र रामा का पुत्र है जो उक्त भूमि में भवानीशंकर के साथ वारिस के रूप में हकदार है, किन्तु रामा का नाम दर्ज होने से अपीलांट को भूमि के स्वामित्व के हक की हानि हुई है। पक्षकार भील जाति समुदाय के है जो अनुसूचित जन जाति की श्रेणी में है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जन जाति वर्ग की महिला के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार के प्रावधान लागू नहीं होते है। अपील विषयक इन्तकाल रेस्पो.सं.3 द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये व वारिसान की जांच किये बिना गलत तरीके से दर्ज

जिला कलक्टर, बून्दी

किया गया है जो विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है। वर्तमान में अपीलांट हक अनुरूप उक्त भूमि के भाग पर काबिज है। अपीलांट अपने पिता रामा की मृत्यु के समय नाबालिग होने के कारण परवरिश हेतु अपने रिश्तेदार के साथ कोटा में निवासरत रहा है तथा वयस्कता हासिल करने के पश्चात वर्तमान में अपने मूल पैतृक निवास ग्राम तुलसी में आकर रहते हुये उक्त भूमि के संबंध में सरकारी योजनाओं के क्रम में दिनांक 20.12.2022 को हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर अपीलांट को पता चला कि उसके दादा की खातेदारी की भूमि में उसके फोती इन्तकाल के रूप में अपीलांट के पिता रामा का नाम बतौर वारिस अंकित नहीं हुआ है। इस पर अपीलांट ने तहसील कार्यालय में जानकारी कर नकल हेतु दिनांक 23.12.2022 को आवेदन किया गया। नकल दिनांक 04.01.2023 को प्राप्त हुई। इससे पूर्व अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी से पहले की अवधि जानकारी के अभाव में क्षमा योग्य है। जानकारी से पूर्व की अवधि को क्षमा किये जाने हेतु धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया है। अभिभाषक अपीलांट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने तथा विधिसम्मत तरीके से अपीलांट का सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये अपीलांट के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 एवं अभिभाषक रेस्पो.सं. 2/1 लगायत 2/5 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट ने स्वयं को वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार रामनाथ का प्रपोत्र होना बताया है तथा अपने हक की भूमि पर काबिज होना बताया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके खाते के बारे में करीब 17 वर्ष गुजर जाने तक कोई जानकारी नहीं रही हो, यह कतई विश्सनीय नहीं है जबकि किसानों को कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार समय समय फसल खराबा का मुआवजा, पीएम सम्मान निधि आदि सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त होते है। ऐसे में खातेदार तथा उसके वारिसान को खाते में दर्ज नामों की पूरी जानकारी रहती है। नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के वक्त अपीलांट ने स्वयं को नाबालिग होना बताया है किन्तु अपील पेश करते हुये अपीलांट की आयु 21 वर्ष दर्ज है, इस प्रकार 18 वर्ष आयु में बालिग होते ही 03 वर्ष तक अपील पेश नहीं करने का भी कोई कारण नहीं बताया गया। अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण की जानकारी होने पर नियमानुसार 30 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी, जो निर्धारित समय में पेश नहीं की गई, अपितु विलम्ब से अपील पेश की गई है, जिसके विलम्ब के संबंध में कोई संतोषजनक कारण भी नही बताया गया। अतः अपीलांट द्वारा पेश की गई अपील अवधि बाधित होने से बिना मेरिट पर सुने मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, बून्दी

अभिभाषक रेस्पो.सं. 2/1 लगायत 2/5 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट ने स्वयं को वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार रामनाथ के पुत्र रामा का पुत्र होना बताया है किन्तु खातेदार रामनाथ के भवानीशंकर के अलावा रामा नाम का कोई पुत्र भी था, यह किसी भी दस्तावेज से प्रमाणित नहीं है। अपीलांट द्वारा रामा के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति पेश की है जिसमें रामा के पिता का नाम रामनाथ भील अंकित है। इससे यह तो साबित होता है कि यह जिस किसी रामा का मृत्यु प्रमाण पत्र है उसके पिता का नाम रामनाथ है, किन्तु इससे यह साबित नहीं हो सकता कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार रामनाथ पि. देव्या के कोई रामा नाम का पुत्र भी था। अपीलांट के कथनानुसार यदि रामनाथ के कथित रामा नाम का कोई पुत्र था जिसकी मृत्यु दिनांक 05.03.2008 को हुई है तो रामा के द्वारा दिनांक 06.03.2006 को खोले गये फोती इन्तकाल में उसका नाम दर्ज नहीं होने पर उक्त नामान्तरकरण की 2 वर्ष तक स्वयं रामा द्वारा अपील पेश नहीं किये जाने का क्या कारण रहा है? इसके संबंध में भी अपीलांट की ओर से कोई कारण अंकित नहीं किया गया। वैसे अपीलांट के पिता का नाम रामा नहीं है अपितु आधार कार्ड के अनुसार रामलाल है। जिससे अपीलांट दुर्गाशंकर उक्त रामा का पुत्र होना प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार गुणावगुण पर भी अपीलांट बिना ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के अपीलाधीन नामान्तरकरण को विधिविरूद्ध साबित करने में असफल रहा है। अभिभाषक रेस्पो. द्वारा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 108 ग्राम तुलसी दिनांक 06.03.2006 को तस्दीक किया गया। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 06.01.2023 को इस न्यायालय में पेश की गई। अपील के साथ पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर दिनांक 20.12.2022 को होना अंकित किया है। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मियाद मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम तुलसी में विस्थित आराजी के खातेदार रामनाथ, ग्यारस्या पि. देव्या हिस्सा 1/3, नोला, धूला पि. रामा हिस्सा 2/3 कौम भील थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार रामनाथ एवं ग्यारस्या के देहान्त के बाद उनके वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 108 दिनांक 06.03.2006 तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांट को आपत्ति है कि अपीलांट मृतक सहखातेदार रामनाथ के पुत्र रामा का पुत्र है तथा उक्त कृषि भूमि पर अपने पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करवाये जाने का अधिकारी है, ऐसे में विधिसम्मत तरीके से अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये अपीलांट के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने बाबत अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर रिमाण्ड किया जावे। जबकि अभिभाषक रेस्पो. द्वारा खातेदार रामनाथ के रामा नाम का कोई पुत्र होना तथा अपीलांट के रामा का पुत्र होना दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होने से अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध आधार कार्ड संख्या 2846 6803 2194 के अवलोकन से प्रकट है कि दुर्गा शंकर भील के पिता का नाम रामलाल निवासी वार्ड नं.7 ग्राम तुलसी, जिला बून्दी होना अंकित है। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 03.05.2019 के अनुसार रामा के पिता का नाम रामनाथ भील अंकित है, परन्तु उक्त दोनों दस्तावेज यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि सहखातेदार रामनाथ के रामा नाम का कोई पुत्र है तथा अपीलांट दुर्गाशंकर उक्त रामा का पुत्र है। यहां उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा खातेदार रामनाथ के देहान्त के समय रामा के जीवित होना बताया है। ऐसे में पिता रामनाथ के फोती इंतकाल में रामा का नाम दर्ज नहीं होने पर स्वयं उसके द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण को चुनौती दी गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं हुआ है। अपीलांट द्वारा अपील में अपने भाई, बहिन एवं माता के जीवित या मृत होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। उक्त तथ्यों के आधार पर पत्रावली दस्तावेजी साक्ष्यों का अभाव पाया गया, ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 09.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अक्षय गोदारा )
जिला कलक्टर बून्दी
District Collector, Bundi